शिक्षक - इस वाक्य में खाली स्थान भरो -
"900 चूहे खाकर बिल्ली .... चली."

विद्यार्थी - 900 चूहे खाकर बिल्ली "धीरे-धीरे" चली.

शिक्षक - नालायक ! मजाक करता है ? निकल जा मेरी क्लास से .... !

विद्यार्थी - सर, ये तो मैंने आपका दिल रखने के लिए कह दिया, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या उसका बाप भी नहीं चल सकता !

एक कंजूस को बिजली का करंट लग गया....

बीवी: आप ठीक तो है ना ?

फालतू की बात छोड़ मीटर देख के बता यूनिट कितना बढ़ा....

खाद्य सुरक्षा अध्यादेश अंत्योदय और अन्नपूर्णा का बदला नाम- सुषमा स्वराज

गुड़गांव। यूपीए-2 सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आड़ में लोगों को गुमराह कर रही है। यह योजना श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा शुरू की गई अंत्योदय और अन्नपूर्णा अन्न योजना को बंद कर नये नाम से शुरू की गई है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने आज पार्टी के किसान मोर्चा की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरे दिन की बैठक को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सैद्धांतिक समर्थक है। यह योजना यूपीए-2 सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की शुरू की गई अन्न योजनाओं को रोककर नये रूप में लागू की है। पार्टी को इस योजना में कुछ संशोधन कराने हैं। लेकिन श्री वाजपेयी सरकार द्वारा लागू की गई अंत्योदय और अन्नपूर्ण अन्न योजना यूपीए सरकार ने बंद कर दी। फिर भी भाजपाशासित प्रदेश अपने वार्षिक बजट में घाटा डालकर उसे लागू करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामान्यत: जुलाई में लोकसभा का मानसून सत्र होता है। इस बार भी यूपीए-2 चाहेगी तो होगा। लेकिन जिस तरह से आनन फानन में यूपीए-2 ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए अध्यादेश जारी किया है उसमें सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के मन में खोट है। जब मानसून सत्र आने वाला है तो अध्यादेश क्यों जारी किया गया। सरकार बहस से बचना चाहती है या फिर लोकसभा का चुनाव करानी चाहती है। यह सब वोट के लालच में किया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि इस अधिकार पत्र में किसानों के लिए समय पर खाद्य, सस्ते दामों पर बीज, पर्याप्त बिजली, कृषि आय योजना और किसानों के लिए बुढ़ापा पेंशन जैसे, किसान हितैषी विषयों पर गहराई से चिन्तन किया गया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि सरकार आने पर भाजपा इस अधिकार पत्र को लागू करवाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा यह चाहती है कि जमीन को बेचने के बजाए जमीन को लीज पर देने का प्रावधान हो। ताकि उस जमीन पर किसानों का मालिकाना हक भी बना रहे और उनको लीज रेंट के रूप में कुछ नियमित आय भी होती रहे। इसी अधिनियम से संबंधित दूसरे संशोधन पर चर्चा करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि उनका ये सुझाव है कि 5 दिसंबर, 2005 जब से भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम पहली बार लोकसभा में पेश किया गया, उसे 'कट ऑफ डेट' माना जाए और 5 दिसंबर, 2005 के बाद किसानों द्वारा बेची गई जमीन का यदि सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाता है, तो मुआवजे का 50 प्रतिशत किसान को मिलना चाहिए। ताकि किसानों को भूमाफियों द्वारा लूट से सुरक्षित किया जा सके। सुषमा स्वराज ने कहा कि, ये दोनों संशोधन प्रस्तावित अधिनियम में पेष किए जाएगें। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर सुषमा स्वराज ने कहा कि सैद्धान्तिक रूप से भाजपा इसके हक में है, लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप से सहमत नहीं है, और सरकार द्वारा संसद की अवमानना कर अध्यादेश के माध्यम से इसे जारी करने का कड़ा विरोध करती है। जल्दबाजी में जारी किए गए अध्यादेश के पक्ष में सरकार के कुछ मंत्रियों का ये तर्क कि ये जीवनदायनी बिल है, हास्यास्पद है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो 2004 में सत्ता मे आई कांग्रेस सरकार को इसकी याद 10 साल बाद नहीं आती। वहीं, कार्यकारिणी के सुबह के सत्र में भाजपा वरिष्ठ नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि आज भारत के किसान के सामने प्रमुख समस्या अपनी जमीन को बचाने की है। सरकार, प्राइवेट बिल्डर और औद्योगिक घराने विभिन्न तरीकों से किसान की जमीन छिन रहे हैं व किसान को मजदूर बनाने पर आमाद है। जो किसान जमीन बचाने में कामयाब भी हैं, उन्हें बीज विहीन किया जा रहा है। बडी कम्पनियों ने सभी प्रमुख बीजों का पेटेंट करा कर किसान के सामने भूखे मरने का रास्ता तैयार कर दिया है। जो किसान इन बाधाओं को पार भी कर रहे हैं, उनको आयातित खादों पर निर्भर बना दिया है।

बेकरी उद्योग पर आधारित कृषि उद्योग

भारत में बेकरी उद्योग पूरी तरह कृषि पर आधारित है बेकरी उद्योग हैं क्योंकि इसके मुख्य घटक गेहूं, चीनी, फलों एवं सब्जियों आदि से काफी पीछे है कि भारत एक अन्य गैर-कृषि उत्पादन देश है। निकट भविष्य में बहुत अधिक है, इस उद्योग के भावी विकास दर केवल भारत में 20 प्रतिशत से अधिक है, जो एक अच्छा संकेत है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक बेकरी में अब तीसरे स्थान पर रहा था बेकरी उत्पादों में गरमी से तप्त आटे और अनाज आधारित ओवन जैसे रोटी, केक, पेस्ट्?ळ, कुकीज आदि बैस्ट बेकरी उत्पादों के मद में व्यापक उपभोग की तथा कम कीमत के लोगों के तीव्र विकास और बदलते हुए खाने की आदतों में जनता, बेकरी उत्पाद हैं रिपोर्ट के अनुसार बाजार परिदृश्य से उद्योग को अनुसंधान और राजस्व सृजन में तीसरे स्थान पर प्राप्त किया गया बेकरी उद्योग प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में है। के आकार का मार्केट 5 बिलियन अमरीकी डॉलर 2010 में उद्योग उपाय है और आशा है कि यह2015 तक पहुंच 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह भी उल्लेख किया गया है कि उद्योग का मुख् य भाग बिस्कुट द्वारा रहता है, जो इस क्षेत्र में अपनी भूमिका अदाकरने की समग्र विकास के क्षेत्र में है। भारत में बेकरी उत्पादों, के प्रति व्यक्ति खपत के रूप में खड़ा है वह है, आज 1 से 1.5 कि.ग्रा. प्रति वर्ष है, जो उन अपेक्षाकृत विकसित देशों की तुलना में कम खपत 15 और 50 किग्रा. प्रतिवर्ष है । बेकरी उत्पाद 9ी वि 9ास दर में भारी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में है। आशाजनक संकेत दिया है कि क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है और भविष् य की प्रगति रिपोर्ट भी कहते हैं, है रिपोर्ट यह भी संकेत दिया था कि, भारतीय बेकरी क्षेत्र के कुछ जैसे बडे फूड वर्ग रोटी, बिस्कुट, केक आदि ने इस क्षेत्र के ब्रॉडिड पैकेज्ड खंड के आकार में करीब 17,000 करोड़ रु. और2012 में वृद्धि होने की संभावना है वालामूल्यांकन 13-15 प्रतिशत पर अगले 3-4 वर्षों में है। बिस्कुट में 3-4 बड़े आकार की टीम, तीन-चौथाई भाग में शामिल है। बाजार से कहीं अधिक खंडित रोटी, केक और एकाधिक क्षेत्रीय और स्थानीय खिलाड़ी है। सर्वप्रथम, चाकलेट, की उपलब्धता के कारण से बेहतर केक सज्जा ,भराव तत्व, स्वादीन आदि के बारे में शिक्षित और दूसरे लोगों की सहायता से उद्योग एवं व्यापार प्रदर्शनियों, मेलों आदि प्रदर्शनियां?न-द्वद्व खिलाड़ियों में लाया गया है लेकिनसरकार उत्पादों का उत्पादन करने की बजाय उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मानक गुणवत्ता इससे लभ पाने वाले हैं। खिलाड़ी की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। देश में संगठित खिलाड़ी बहुत कम हैं पूरे उद्योग की अपनी संस्कृति के हर शहर और केवल इसी बेकरी की आदतों और भारतीयों को भी विविध प्रबंधकों के मालिक प्रेरित किया गया था और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है। विशाल खिलाड़ियों ने राष्ट्रव्यापी उपस्थिति नहीं है। बेकरी उद्योग है और उभरते उद्योग अच्छी संभावनाएं हैं।आजकल के विनिर्माताओं को देखते हुए थे बेकरी उत्पादों के विकास के साथ-साथ बढ़िया तंत्रों के संघटक हैं। बारे में नई प्रवृत्ति को व्यापक खाद्य उद्योग को इस प्रवृत्ति से खेलते हुए भी शामिल थे, यहां तक बिना ब्राण्ड वाले गैर ब्रांडेड और ग्रामीण अपनाये, प्रीमियम, स्वास्थ्य और सुविधा है। विभिन्न नई लॉन्च सीरीज प्रारंभ से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि प्रमुख खिलाड़ियों के ब्रिटानियां नुत्रिचोइचे श्रेणी हो, छोटे पैकेट अंधेरे की ओर मोड़ा गया। अच्छे दिन, आईटीसी, पार्ले पार्ले की कटाई-रोटी और सोने में जैसे ही जी और स्थानीय विशिष्ट ब्रेड लाएगा बेकर्स अच्छी है। भारतीयों ने हमेशा एक मीठा स्वाद है। यात्रा को अधिक से अधिक लोग विश्व बाजार, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों सराहना करना शुरू कर दिया है, अच्छी गुणवत्ता वाले व्यक्ति को भुगतान करने के लिए तैयार हैं, उत्कृष्ट तरीके और अतिरिक्त धन है। विकास दर की दुकानों खली को सीधे ही खर्च किए जाने से संबंधित है। हिचकेंगे लोगों को कम पैसा खर्च करने की संभावना, उच्च मूल्यों को आगे की संभावना को बेहतर उत्पाद, अग्रणी है त्यह सुविधा इस समय की आवश्यकता खाने और मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है और पति और पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, ताकि वे खाना खाने के लिए तैयार बाजार में उपलब्ध हैं। विकास के लिए घटकों में हाल ही में तीन आयामी अने 9 बेकर्स केक और विषयवस्तु केक है ।

हैदराबाद की एक प्राईवेट बीज कंपनी जे.के. एग्री जिनेटिक्स लिमिटिड चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,हिसार द्वारा विकसित मक्का की दो संकर किस्मों एचक्यूपीएम-1 तथा एचक्यूपीएम-5 का बीज उत्पादन कर

चण्डीगढ़। हैदराबाद की एक प्राईवेट बीज कंपनी जे.के. एग्री जिनेटिक्स लिमिटिड चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,हिसार द्वारा विकसित मक्का की दो संकर किस्मों एचक्यूपीएम-1 तथा एचक्यूपीएम-5 का बीज उत्पादन करके उनकी मार्किटिंग करेगी। इस आशय का आज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तथा इस बीज कंपनी के बीच एक अनुबंध हुआ है। अनुबंध में इस कंपनी को मक्का की उपरोक्त संकर किस्मों के बीज उत्पादन व उसकी मार्किटिंग का गैर-एकाधिकार (नॉन एक्सक्लूसिव) लाइसेंस दिया गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की ओर से अनुसंधान निदेशक डॉ. एस.एस. सिवाच जबकि जे.के. एग्री जिनेटिक्स लि. कंपनी की ओर से जनरल मैनेजर (आर एण्ड डी) डॉ. सुनील कुमार भट्ट ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. सिवाच ने कहा कि विश्वविद्यालय में विकसित किए गए मक्का के इन संकरों की पूरे देश में खेती की जा सकती है। इन संकरों की विशेषता यह है कि ये लीफब्लाईट व कॉमन रस्ट रोगों तथा चीलो पारटैलस कीट के प्रति सहनशील हैं। उन्होंने बताया कि एचक्यूपीएम-1 संकर की खरीफमौसम में औसत दाना उत्पादन क्षमता 55 क्विंटल प्रति हैक्टेयर जबकि एचक्यूपीएम-5 की उत्पादन क्षमता 58 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है। बिजनेस प्लानिंग एंड डवैलपमैंट यूनिट के मुख्य अंवेषक डॉ. एस.के. सेठी ने बताया कि विश्वविद्यालय अब तक मक्का का बीज उत्पादन व मार्किटिंग के लिए 15 प्राईवेट कंपनियों के साथ अनुबंध कर चुका है। इनमें से 10 अनुबंध केवल मक्का की उपरोक्त संकर किस्मों के लिए किए गए हैं। यहां उल्लेखनीय है कि यह बीज कंपनी इससे पूर्व हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,हिसार द्वारा विकसित गेहूं की दो उन्नत किस्मों डब्ल्यूएच-1021 तथा डब्ल्यूएच-1080 का बीज तैयार करने व उसकी मार्किटिंग के लिए भी अनुबंध कर चुकी है। इस मौके पर विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के अध्यक्ष डॉ. एच.पी. यादव, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, उचानी (करनाल) के निदेशक डॉ. जे.सी. महला, जे.के. एग्री जिनेटिक्स लि. कंपनी के एसिस्टैंट मैनेजर श्री विपुल कुमार बाल्यान आदि उपस्थित थे।

ज्योतिष गुरु : पंडित महेंद्र दाधीच

मेष (Aries Rashifal)
संतुलित जीवन है पर कोई व्यक्ति आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा. योजनाबद्ध तरीके से काम करें.

वृष (Taurus)
जीवन में कुछ समस्याएं हैं. परिवार के साथ रहें और सामंजस्य बनाने की कोशिश करें

मिथुन (Gemini)
चतुराई से काम कर रहे हैं. कार्यक्षेत्र में बदलाव चाहते हैं पर नहीं हो रहा. तनाव से बचें.

कर्क (Cancer)
धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे पर अब लगेगा कि समय गंवा दिया है. अपनी सुविधाओं के बारे में सोचें

सिंह (Leo)
बहुत से लोगों से घिरे रहेंगे. आपका वर्चस्व साबित होगा. अपने अधिकार का लुत्फ उठाएं.

कन्या (Virgo)
जानते हुए भी कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं. हालात नहीं संभाल पाए. काम पर ध्यान दें।

तुला (Libra)
भाग्यचक्र साथ है. बहुत अच्छा दिन है.अच्छे समय का आनंद लें ।

वृश्चिक (Scorpio)
अजीब स्थिति में फंसे हैं. घरेलू झगड़ों को संभाल लिया है. प्रशंसा मिलेगी।

धनु (Sagittarius)
धनु अपनों से यश व सम्मान मिलेगा। विदेश में लाभ होगा। अधीनस्थों से परेशानी मिलेगी। व्यापार बढ़ाने के योग हैं। कानूनी कार्य टालना उचित रहेगा।

मकर (Capricorn)
कोई स्वतंत्र महिला भावनात्मक चोट देगी. अपने रिश्तों को मजबूती दें।

कुम्भ (Aquarius)
किसी से अलगाव के चलते खिन्न हो गए हैं. दुखी रहेंगे।

मीन (Pisces)
कल्पनात्मक जीवन में जीने के चलते कुछ गड़बड़ होगी. परेशान रहेंगें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-कुछ अहम चिंताएं

मुकेश गढ़वाल

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान माना जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून को भी पारित कराने का प्रयास सरकार की ओर से किया जाएगा. चिंताजनक यह है कि खाद्य सुरक्षा क़ानून के मसौदे में सरकार ने इतनी ज्यादा कमियां रखी हैं कि उनके दम पर एक प्रभावी क़ानून की ओर बढ़ने की कल्पना भी करना मुश्किल है. इतने लचर क़ानून को लाने से अच्छा इसे न लाना होगा. इस मसौदे के प्रावधानों को लेकर कई जनसंगठनों ने लगातार अपनी आपत्तियां सरकार से दर्ज कराई हैं पर सरकार इस ओर से मुंह फेरकर बैठी है. ऐसे में पिछले दिनों रोटी का अधिकार अभियान ने कई अन्य संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर जनमंच का आयोजन किया और सरकार के सामने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून को लेकर कुछ अहम चिंताओं और संशोधनों के लिए एक प्रस्ताव भी रखा. इस प्रस्ताव का हिंदी अनुवाद हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं. पिछले ढाई साल से रोजी-रोटी अधिकार अभियान लगातार एक व्यापक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाए जाने की पैरवी कर रहा है, जिसमें न सिर्फ सबके लिए जन आपूर्ति की व्यवस्था (पीडीएस) हो, बल्कि लोगों के भोजन के अधिकार की रक्षा के दूसरे उपायों जैसे (1) सबको पोषण, स्वास्थ्य और आईसीडीएस के तहत छह साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल एजुकेशन की व्यवस्था (2) 6-14 साल की उम्र के बच्चों के लिए पोषण युक्त और पका हुआ मिड-डे मील (3) गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व हकदारी और दूसरी सुविधाएं (जैसे नवजात शिशुओं और बच्चों को उचित दुग्धपान कराने संबंधी परामर्श व सहायता) (4) भूखा रह जाने के खतरे में जी रहे वंचित समूहों और समुदायों/लोगों को विशेष सहायता (सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित). इसके साथ-साथ, यह अभियान स्थानीय खेती का पुनरुद्धार करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने, विकेंद्रित खरीद व भंडारण और जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) में दालों, खाद्य तेल और मोटे अनाज को शामिल करने की वकालत करता है. सितंबर, 2011 में खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को प्रतिक्रियाओं के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया था. विधेयक का यह मसौदा उपरोक्त मांगों को पूरा नहीं करता बल्कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) द्वारा प्रस्तावित अति साधारण हकदारियों में भी कांट-छांट करता है. ऐसा लगता है कि इस ड्राफ्ट का मुख्य लक्ष्य सरकार के दायित्व को कम से कम करना, लोगों की हकदारी को सीमित रखना और किसी भी तरह की जवाबदेही से बचना है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे के इन पहलुओं से हम खासतौर पर चिंतित हैं- 1. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने लिए एक दृष्टिकोण जरूरी है लेकिन यह विधेयक जन वितरण प्रणाली-पीडीएस को खाद्यान्न तक सीमित रखने के संकीर्ण दृष्टकोण पर आधारित है. 2. इस संकीर्ण एप्रोच में भी विधेयक बहुत-सी खामियां से युक्त हैं. 3. इस विधेयक ने राशन की हकदारी प्राथमिकता वाले कुटुंब के लिए प्रति माह 7 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति और सामान्य कुटुंब के लिए प्रति माह 3 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति पर सीमित कर दी है. जबकि आईसीएमआर के मानकों के बताते हैं कि एक व्यस्क हर महीने 14 किलो खाद्यान्न का उपभोग करता है. 4. यह विधेयक बच्चों के अधिकारों को नजरअंदाज करता है (खासतौर पर छह साल से कम उम्र के बच्चे), आईसीडीएस के सब तक पहुंचाने जैसे अधिकारों को भी जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं. 5. शिकायत निवारण के प्रावधान बहुत कमजोर हैं. 6. यह विधेयक केंद्र सरकार को खुद की शर्तों पर भोजन के स्थान पर नकद भुगतान करने की छूट देता है, बगैर किसी सुरक्षात्मक उपाय किए. 7. स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन की आपूर्ति में व्यावसायिक हस्तक्षेप से बचाने के उपाय इस विधेयक में नहीं हैं. 8. यह विधेयक केंद्र सरकार को एकतरफा शक्तियां देता हैं जिसमें अधिकांश हकदारियों को बदलने और सभी प्रासंगिक योजनाओं के लिए बाध्यकारी दिशा-निर्देश सुझाना शामिल है. 9. इस प्रस्तावित कानून को लागू करने की कोई समय-सीमा तय नहीं है. हमारी चिंता है कि यह विधेयक आबादी को तीन समूहों (प्राथमिक, सामान्य और वंचित) में बांटने पर निर्भर है, इन समूहों की पहचान कैसे होगी, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है. संभवत: पूर्ववर्ती बीपीएल जनगणना का ही सुधरा रूप सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) इस उद्देश्य के लिए बहुत ही अपर्याप्त है. जो लोग आज जंतर-मंतर पर हमारे साथ आए उनमें बहुत से गरीब लोग हैं जिन पर एसईसीसी के स्कोरिंग सिस्टम के दोषपूर्ण स्वरूप के चलते प्राथमिक समूह से बाहर छूट जाने का खतरा मंडरा रहा है. हम एक व्यापक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की अपनी मांग दोहरा रहे हैं जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: 1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएस सबके लिए हो जिसमें दालें, खाद्य तेल और मोटे अनाज भी शामिल रहें. खाद्य हकदारी आईसीएमआर के मानकों के अनुरूप हो जिससे कि सभी, खासतौर पर भूखमरी के खतरे में रहने वाले, कमजोर और वंचित लोग न सिर्फ इसमें शामिल हों बल्कि पर्याप्त पोषण भी हासिल करें. 2. उचित समर्थन मूल्य और विकेंद्रीकृत खरीद, न सिर्फ चावल और गेहूं की बल्कि मोटे अनाज और दालों की भी हो. 3. कानून को गरीबी के आधिकारिक अनुमान पर आधारित किसी भी 'ट्ठ%तय सीमा' से न जोड़ा जाए. 4. आईसीडीएस 'ट्ठ%सबके लिए हो और गुणवत्ता के साथ', इसमें सभी बच्चों के लिए स्थानीय तौर पर तैयार पौष्टिक भोजन का प्रावधान शामिल होना चाहिए. 5. छह महीने के लिए सबको बिन शर्त मातृत्व हकदारी मिले. 6. निर्बल समूहों की हकदारी जैसे बुजर्गों, एकल महिलाओं और विकलांगों के लिए पेंशन, मातृत्व हकदारी और सामुदायिक रसोई. (Pratirodh)